निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 104/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा न्यू सांगानेर रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स सिद्वि विनायक इण्डस्ट्रीज (ऋणी)

अ. प्लाट नं॰ ए, 127 बांके बिहारी, इण्डस्ट्रीयल एरिया डेहरा, ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू एवं

ब. प्लाट नं॰ 53, प्रेम नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर ।

(2) श्री प्रतीक पालीवाल पुत्र श्री पुरूषोत्तम पालीवाल (पार्टनर एवं गारन्टर)

अ. प्लाट नं॰ ए, 127 बांके बिहारी, इण्डस्ट्रीयल एरिया डेहरा, ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू,

ब. प्लाट नं॰ 53, प्रेम नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर एवं

स.एच–103/ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर जयपुर।

(3) श्री यामिनी पालीवाल पत्नी श्री प्रतीक पालीवाल (पार्टनर एवं गारन्टर)

अ. प्लाट नं॰ ए, 127 बांके बिहारी, इण्डस्ट्रीयल एरिया डेहरा, ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू,

ब. प्लाट नं॰ 53, प्रेम नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर एवं

स.एच–103/ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री शरद जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23/12/2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती यामिनी पालीवाल पत्नी श्री प्रतीक पालीवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ ए–127, बांके बिहारी इण्डस्ट्रीयल एरिया, डेहरा, ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित औद्योगिक सम्परिवर्तित सम्पत्ति क्षेत्रफल 817.51 वर्गमीटर तथा मैसर्स सिद्वि विनायक इण्डस्ट्रीज का हाईपोथीकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फॅयूचर, आल स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क–इन–प्रोसेस, आल टाईप ऑफ गुड्स जैसे

ला मजिस्ट्रेट
लक्टर) जयपुर

सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल दा प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, ऐसेसरीज एण्ड अदर मुवेबल फिक्स अरोट्स, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को हाईपोथीकेटेड कर टर्म लोन खाते मे रूपये 42.40 लाख केडिट हाईपोथीकेशन लिमिट लोन खाते 45 लाख रूपये इस प्रकार दोनों खातों में कुल रूपये 87.40 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने मे असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06/01/2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शरद जोशी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने के प्रावधान है। इसलिए और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को टर्म लोन खाते में रूपये 42.40 लाख एवं केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिट लोन खाते में रूपये 45 लाख इस प्रकार दोनों खातों में कुल राशि 87.40 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज दोनों खातों में कुल 63,07,869.82 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06/01/2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई जबाब या प्रत्युतर बैंक को नही दिया गया।

प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः The

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती यामिनी पालीवाल पत्नी श्री प्रतीक पालीवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ ए–127, बांके बिहारी इण्डस्ट्रीयल एरिया, डेहरा, ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित औद्योगिक सम्परिवर्तित सम्पत्ति क्षेत्रफल 817.51 वर्गमीटर तथा मैसर्स सिद्वि विनायक इण्डस्ट्रीज का हाईपोथीकेटेड बोरोवर्स रटॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, आल स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क–इन–प्रोसेस, आल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल दा प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, ऐसेसरीज एण्ड अदर मुवेबल फिक्स असेट्स, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर